

हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
मन्त्रीमण्डल शाखा

विषय:- मंत्रिपरिषद् के विचार के लिये ज्ञापन तैयार/प्रस्तुत करने बारे हिदायतें ।

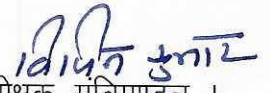
.....00.....

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. प्रशासकीय विभागों द्वारा नितियों/नियमों इत्यादि में संशोधन से सम्बन्धित ज्ञापन मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाते हैं, इन ज्ञापनों में जिन नितियों/नियमों में संशोधन करना प्रस्तावित होता है, उनका वर्णन तो होता है, लेकिन इन नितियों/नियमों की प्रति ज्ञापन के साथ सलग्न नहीं होती है । मंत्रिपरिषद् की बैठक में विचार विमर्श के दौरान इन ज्ञापनों के साथ मूल नियमों/नितियों के सलग्न न होने का विषय ध्यान में आता रहता है ।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद् को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले नितियों/नियमों में संशोधन करने से सम्बन्धित ज्ञापनों के साथ नितियों/नियमों की प्रति (जिनमें संशोधन प्रस्तावित हो) आवश्यक रूप से सलग्न की जाये ।

4. इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए ।


अधीक्षक, मन्त्रीमण्डल ।

सेवा में,

✓ सभी प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 10/11/2011-2 कैबिनेट

दिनांक 23.07.2024.